दिल्ली विधान सभा सिवालय

समाचार भाग -2

१ विधायो तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारो १ शुक्रवार, ०५ जनवरो, २००। / पौष ।५, १९२२१ शक्र

संख्या : 123

सदस्यों को नजरबन्दो एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष. दिल्लो विधान सभा को पुलिस उपायुक्त, प्रियमे दिल्ली, का निम्निलिखित सदिश प्राप्त हुआ है:-

मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननोय सदस्य श्री मुकेश शर्मा, श्री सुभाष चौपड़ा व श्रीमती किरण चौधरी को 02.01.2001 को 1300 बजे दिल्ली पुलिस अधिनयम 1973 को धारा-65 के अंतर्गत पुलिस के विधि सम्मद निर्देशों को अवज्ञा करने के कारण नजरबन्द किया गया।

उन्हें वहीं से उसी दिन अर्थात 02.01.2001 को 1335 बजे रिहा कर दिया गया ।

एस • के • **शर्मा** सिच्य

DEIHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative & Other matters)
Friday,05th January,2001/Poush 15,1922(Saka)

No.123

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message addressed to the Hon'ble Speaker Delhi Vidhan Sabha, Delhi was received from Dy.Commissioner of Police, West Distt., Delhi.

Mukesh Sharma and Smt. Kiran Choudhry, MLAs were detained u/s 65 of Delhi Police Act. 1978 for disobeying the lawful directions of police at 1300 Hrs on 2.1.2001.

They were released at 1335 hrs from the same place on the same day i.e. 2.1.2001."

S.K.SHARMA SECRETARY